



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 माघ 1939 (श०)

(सं० पटना ७०) पटना, शनिवार, ३ फरवरी २०१८

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

३ फरवरी २०१८

एस०ओ० १४२, दिनांक ३ फरवरी २०१८—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का बिहार अधिनियम १२) की धारा ६८ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, बिहार गजट, असाधारण अंक, में संख्या ८५, तारीख ३१ जनवरी, २०१८ द्वारा प्रकाशित, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १४०, तारीख ३१ जनवरी, २०१८ के क्रम संख्या २ के प्रावधानों (परंतुक को छोड़कर) को रद्द करते हैं।

२.यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त समझी जाएगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-२१/२०१७(खंड-I)-३१३)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

प्रधान सचिव ।

३ फरवरी २०१८

एस०ओ० १४२, दिनांक ३ फरवरी २०१८ का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-२१/२०१७(खंड-I)-३१३)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

प्रधान सचिव ।

The 3rd February 2018

S.O. 142, dated 3rd February 2018—In exercise of the powers conferred by section 68 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, hereby supercedes the provisions of serial number 2 (except the proviso thereto) of Notification of Government of Bihar, Commercial Taxes Department No. S.O 140, dated the 31st January, 2018, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 85, dated the 31st January, 2018.

2. This notification shall come into force with effect from date of its issue.

[File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-I) 313]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 90-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>